न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0)

अपीलॉटस	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. हीरसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी सता तहसील व जिला जैसलमेर		1– पाबूदान सिंह पुत्र पन्नेसिंह 2. स्व. उम्मेदसिंह पुत्र पन्नेसिंह (फौत) के कायम मुकाम – 2/1 राणी कंवर बेवा स्व. उम्मेदसिंह 2/2 कंवराजसिंह 2/3 भोपालसिंह पिसरान स्व. उम्मेदसिंह 3. स्व. जेठूसिंह पुत्र पन्नेसिंह के (फौत) के कायम मुकाम – 3/1 अगर कंवर बेवा स्व. जेठूसिंह 3/2 नारायणसिंह 3/3 झबरसिंह 3/4 श्यामसिंह पुत्रान स्व. जेठूसिंह 3/5 राजू कंवर पुत्री स्व. जेठूसिंह 4. स्व. माधोसिंह उर्फ लाधुसिंह पुत्र स्व. पन्नेसिंह (फौत) के कायम मुकाम – 4/1 किरण कंवर बेवा स्व. माधोसिंह 4/2 महिपालसिंह 4/3 मनोहरसिंह पिसरान स्व. माधोसिंह सर्वे जातियान राजपूत निवासीयान सता तहसील व जिला जैसलमेर 5. सरकार जरिए तहसीलदार, जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध दिनांक 22.05.1993 जिसे तहसीलदार जैसलमेर ने पक्षकरान की सयुक्त खातेदारी जोत के विभाजन हेतु पारित किया गया।

<u>मुकदमा संख्या</u> :– 16/2018

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद अली, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री आसुसिंह सोलकी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–:: <u>आदेश</u> ::– दिनांक:– 01,नवम्बर,2019

1. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई व नोटिस रेस्पोडेन्ट को जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की सयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम सता तहसील जैसलमेर में आई हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

नाम ग्राम	खसरा नं0	रकबा	खातेदार
सता	380	69.00 बीघा	1– पाबूदानसिंह
	382	40.06 बीघा	2– हीरसिंह
	383	71.18 बीघा	3–उम्मेदसिंह
		....	4–जेठूसिंह
		कूल 181 बीघा	5– लाधूसिंह
		....	पिसरान पन्नेसिंह बहिस्सा बराबर

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का खातेदारी हिस्सा 1/5 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/5 यानि 36.04 बीघा है। पक्षकार आज भी उसी तरह आराजी पर काबिज है व आराजी पूर्व मौखिक बंटवाडा अनुसार प्रत्येक पक्ष उक्त खातेदारी रेकर्ड अनुसार हिस्सा 1/5 , 1/5 पर काबिज है। माह जुलाई 2018 में जब अपीलांट अपने हिस्से की भूमि रकबा 36.04 बीघा में बरसात से पूर्व पोलछ कर रहा था तब रेस्पोडेन्ट सं. 3 जेठूसिह के पुत्र नारायणसिंह एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 माधोसिंह उर्फ लाभूसिंह के पुत्र महिपालसिंह ने खेत खसरा नम्बर 383 की भूमि को पोलछ करने से अपीलांट को स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि है। जिस पर अपीलांट ने माह अगस्त 2018 में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और उक्त तथा कथित बंटवारा बाबत पूछताछ की जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.08.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा किया गया दिनांक 22.05.1993 को किये भूमि विभाजन की जानकारी हुई। उक्त विभाजन रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के दबाव में आकर किया गया है, जो प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध है, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 स्व. पन्नेसिंह के वारिसान है तथा उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/5 भाग भूमि बहिस्सा बराबर–बराबर है। विभाजन के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट अपनी खातेदारी जोत का विभाजन कराने हेतु रेस्पोडेन्ट सं. 5 तहसीलदार,जैसलमेरके समक्ष उपस्थित नही हुआ और न विभाजन हेतु कोई आवेदन पेश किया और न विद्वान तहसीलदार ने विभाजन के तथ्यो से अपीलांट को अवगत कराया। अपीलाधीन आदेश विधिक प्रकिया विहिन एवं एक पक्षीय होने से निरस्त योग्य है। विभाजन में समस्त संयुक्त खातेदारान को उनके कब्जे व हिस्से के अनुरूप भूमि प्राप्त होनी चाहिये और रकबे में अन्तर रखा जाता है तो उसका स्पष्ट एवं विधिक कारण होने चाहिये। प्रश्नगत विभाजन न तो कब्जे के अनुरुप है और न रकबा का विधिवत् विभाजन किया है। खेत खसरा सं. 380, 382, 383 रकबा क्रमशः 69.00 बीघा, 40.06 बीघा, 71.18 बीघा कुल रकबा 181.04 बीघा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की संयुक्त जोत है और प्रत्येक खसरा नम्बर में सभी सहखातेदारो को बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5 हिस्सा है। अपीलांट का तीनो खसरो में 1/5 भाग 36.04 बीघा होता है, रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अपीलांट की जोत में हिस्सा मात्र 13.06 बीघा ही दर्शाया है, रेस्पोडेन्ट सं. 3 जेठूसिंह का हिस्सा 49.18 बीघा तथा लाभूसिंह उर्फ माधोसिंह का हिस्सा 90.00 दर्शाया है। जबकि प्रत्येक पक्षकार का अपने पिता पन्नेसिंह की खातेदारी में बहिस्सा बराबर–बराबर इन्द्राज किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन विभाजन विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जोत का विभाजन करने में कानूनी व तथ्य संबंधी बडी भारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

भूल की है। उक्त शामलाती जोत में रेस्पोडेन्ट सं. 1 पाबूदानसिंह के नाम खसरा नम्बर 382, 380 में रकबा क्रमशः 5.00 व 9.00 बीघा कुल 14 बीघा, हीरसिंह (अपीलांट) के नाम खसरा सं. 382, 380 रकबा क्रमशः 5.06 बीघा, 8.00 बीघा कुल रकबा 13.06 बीघा, उम्मेदसिंह रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम खसरा सं. 382, 380 रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 9.00 बीघा कुल रकबा 14.00 बीघा, जेठूसिंह रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम खसरा सं. 383, 382, 380 रकबा क्रमशः 35.18, 5.00, 9.00 कुल रकबा 49. 18 बीघा, लाभूसिंह उर्फ माधोसिंह के नाम खसरा सं. 383, 382, 380 रकबा क्रमशः 36.00, 20.00, 34.00 बीघा कुल रकबा 90.00 बीघा पृथक–पृथक जोत का बंटवारा किया गया है जबकि प्रत्येक सहकाश्तकार का उक्त तीनो खसरा में बहिस्सा बराबर–बराबर इन्द्राज कर कब्जा अनुसार बंटवाडा किया जाना चाहिये था, अपीलाधीन आदेश भौतिक कब्जा की स्थिति के अनुसार न होकर अपीलांट की जोत मात्र 13.06 बीघा ही इन्द्राज करने में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जैसलमेर ने विधिक भूल की है, जो बंटवारा प्रारम्भ से ही निरस्त योग्य है। अपीलांट माह जुलाई 2018 में अपने हिस्से की भूमि रकबा 36.04 बीघा बरसात होने से पूर्व पोलछ कर रहा था, तब रेस्पोडेन्ट सं0 3 जेठूसिंह पुत्र नारायणसिंह एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 माधोसिंह उर्फ लाभूसिंह पुत्र महिपाल ने खसरा सं. 383 की भूमि में हक उक्त दोनो का होना कहा जिस पर अपीलांट पटवारी हल्का मिला और उक्त खेतो की पूछताछ की तब अपीलांट को प्रथम बार ज्ञात हुआ कि उक्त खेत उक्त दोनो रेस्पोडेन्ट के नाम इन्द्राज किया है जिस पर बटवारा आदेश आदि की नकल लेने हेतु कार्यवाही की जो नकल दिनांक 31.08.2018 को प्राप्त हुई। परिसीमा अधिनियम धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट ने अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार करने की प्रार्थना की है। अपीलांट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर नये सिरे से अराजी का विधिक प्रावधीन एवं कब्जानुसार विभाजन के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सह अभिधारियों के बीच भूमि क्षेत्र का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (2) (i) के अंतर्गत करार द्वारा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 53 (2) (ii) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद संस्थित कर उसमें पारित डिक्री अनुसार किया जा सकने का विधिक प्रावधान है। प्रश्नगत आदेश सह अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के लिये करार तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत करार को तसदीक कर उसके आधार पर विभाजन आदेशित किया जो उक्त अधिनियम की धारा 53 (2) (i) एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 के अनुसार विधि सम्मत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 ऐसे आदेशों के विरूद्व अपील प्रावधित करती है जो तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप के आवेदन पत्र पर पारित आदेश है। उक्त अनुसूची में उक्त अधिनियम की धारा 53 (2) (i) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अपील का कोई प्रावधान नही रखा गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित न्याय निर्णयनों का भी उल्लेख किया है जिसमे उक्त विधिक स्थिति का प्रतिपादन किया गया है। (1) सचिव, मेयो कॉलेज बनाम भारत संघ 1986 आरआरडी 283, (2) प्यारे बनाम श्रीकृष्ण 1977 आरआरडी 336, (3) 1942 आरडी 397,(4) 1940 आरडी 443, 1955 आरआरडी 39 में यह धारित किया गया है कि Co- tenants can divide up their holdings by agreement and if the

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

agreement is definite and clear, and intended to provide for a permanent division, it can not be challenged afterwards, though it will not be challenged afterwards, even if parties receved a share less then that which they would be entitled to by law of succession, 2012 RBJ 471, 2012 (2) RLW RJ 1095 & 2012 RRD 10 में यह धारित किया गया है कि A division of holding carried out with the consent of all the parties as a result of a compromise, in correction of papers case, is valid and binding between those parties. ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विभाजन आदेश अंतिमता को प्राप्त कर चुका है। उसके विरूद्ध हस्तगत अपील विधिक आधार पर ग्राह्य नही ठहरती। प्रश्नगत आदेश के 25 वर्षो से अधिक अवधि के पश्चात उसको चुनौती देने में विलम्ब का कोई यथेष्ट एवं युक्तियुक्त कारण अभिलेख पर नही लाया गया है। प्रश्नगत आदेश के विरूद्व जब अपील का विधिक प्रावधान ही उपलब्ध नही है तो मामले में समयावधि अथवा विलम्ब का बिन्दु ही उत्पन्न नही होता। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 नें अपीलार्थी की अपील सव्यय खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

3. उभय पक्षो की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को प्रश्नगत विभाजन की प्रथम वार जानकारी दिनांक 31.08.2018 को हल्का पटवारी से हुई जिस पर उसकी नकल लेकर दिनांक 11.09.2018 को उसके विरूद्व अपील प्रस्तुत कर दी गई। उन्होने अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार कर गुणावगुण पर निर्णय का अनुरोध किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 का तर्क रहा कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में काश्ति 25 वर्षो के विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई कारण अभिलेख पर नही है। प्रश्नगत बंटवारा के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 05 द्वारा तैयार जोत विभाजन के नक्शे पर अपीलांट के हस्ताक्षर होने से अपीलांट को इस की जानकारी बंटवारे के समय से होना अभिलेख पर है। अतः अपील समयावधि से बाधित होने से इसी बिन्दु पर खारिज की जाय।

4. गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट का तर्क रहा कि सन् 1975 में नियमित बन्दोबस्त का अभिलेख लागू हुआ तब से सन् 1993 तक प्रश्नगत आराजी के 1/5 हिस्सा अर्थात 36.04 बीघा जोत घटाकर 14 बीघा कर दी गई है। सभी संयुक्त खातेदारो को पांचवा हिस्सा अनुसार बंटवारा कार्यवाही होनी चाहिए थी जो नही हुई। तहसीलदार, जैसलमेर ने मौका मुआयना नहीं किया व दबाव में बंटवारा कर दिया है जिसे अपास्त किया जाय। अपने तर्को के समर्थन में उन्होने निम्नलिखित न्याय निर्णयनों का भी उल्लेख किया (1) 2009 (2) आर.आर.टी. 775 (2) 2011–12 supp आर.आर.टी. 698 (3) 2004 आर.आर.डी. 170 (4)2016 (1) आर.आर.टी. 87 (5) 2016–17 आर.आर.टी. supp 711 (6) 2005 आर.आर.टी. 588 (7) 2018 (1) आर.आर.टी. 601 अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस संलग्न पत्रावली की गई। अधिवक्ता अपीलांट का तर्क रहा कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.1993 विधि विरूद्व होने से प्रारंभ से शून्य है, अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 का तर्क रहा है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में उक्त अधिनियम की धारा 53 (2) (प) के अतंर्गत पारित आदेश के विरूद्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

अपील का प्रावधान ही नही रखा गया है। प्रश्नगत आदेश सहमति के आधार पर तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रमाणित किया गया है जो अंतिमता को प्राप्त हो चुका है। प्रश्नगत जोत बंटवारा आदेश के अनुसरण में जोत विभाजन के उपरांत तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा पारूपित भूमि नक्शा पर अपीलांट सहित सभी संयुक्त खातेदारान के हस्ताक्षर विधमान है। रेस्पोडेन्ट मे से पाबूदानसिंह ही वर्तमान में जीवित है। अपीलांट पाबूदानसिंह का भाई है। उक्त अधिनियम की धारा 225 में यह स्पष्ट प्रावधित है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में अनुमत आदेश के विरूद्व ही अपील की जा सकती है और धारा 53 (2) (i) के अतंर्गत पारित आदेश इसकी परिधि में नही आने से उक्त विधिक प्रावधान के आलोक में ही अपील प्रथम दृष्टया खारिज योग्य ठहरती है।

6. उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रश्नगत आराजी का सभी पक्षकारान की सहमति से विभाजन आदेश दिनांक 22.05.1993 द्वारा किया जाना अभिलेख पर है। विभाजन उपरांत तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रारूपित बंटवारा अनुसार तैयार प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर अपीलार्थी स्वयं के हस्ताक्षर विधमान है। प्रश्नगत विभाजन आदेश जो अंतिमता प्राप्त कर चुका है के विरूद्व 26 वर्ष पश्चात अपील विधिक बिन्दु पर ही ग्राहय नही ठहरती। प्रश्नगत भूमि विभाजन नियम विरूद्व होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है। उक्त विवेचन तथ्यों के आलोक में अपील अपीलार्थी बलहीन होने से खारिज की जाती है। उभयपक्ष अपना अपना व्यय वहन करे।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर
(एडीएम) जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 01.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner